कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमिः–

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2018 में अपनी राजय की राजधानी शिमला में जल–आपूर्ति और सवीरेज क्षेत्र में परिवर्तनकारी मध्यम अवधि क सुधार कार्यक्रम की शुरूआत की। विश्व बैंक की शिमला जल आपूर्ति और सीवरेज सेवा वितरण सुधार कार्यक्रम विकास नीति ऋण–1 द्वारा समर्थित, ये सुधार पीलिया महामारी की एक श्रृंख्ला, 2018 की गर्मियों के दौरान तीव्र जल संकट, तेजी से बढ़ती पानी की मांग, पारंपरिक जल स्त्रोंतों की घटती क्षमताऔर मौजूदा बुनियादी ढांचे द्वारा दी जाने वाली सीमित सेवाओं की प्रतिक्रिया थे। डीपीएल–1 के तहत एक बड़ी उपलब्धि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) एक रिंग फेनस्ट डब्लयू०एस०एस० कंपनी, पूर्ण परिचालन स्वायत्तता और स्पष्ट, डब्लयू०एस०एस० सेवाओं, वित्तीय स्थिरता और ग्राहक जवाबदेही के लिए विकसित जिम्मेदारियों के साथ एक कंपनी का निर्माण था। एस०जे०पी०एन०एल० ने महत्वपूर्ण सेवा सुधारों का एक ट्रैक रिकार्ड स्थापित किया है। राज्य की राजधानी में पहुँच का विस्तार, गैर–राजस्व पानी (एन०आर०डब्लयू०) को कम करना, सेवा घंटों और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना, शहर के व्यापक पैमाइश और वॉल्यूमोट्रिक टैरिफ के साथ अपने राजस्व को लगभग तीन गुना करना, बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, सब्सिडी और लागत वसूली नीतियों, ऊर्जा दक्षता सुधर नीति और ग्राहकों के प्रति बढ़ती जवाबदेही को बढ़ाना।

परिणाम के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम विश्व–बैंक–वित्तपोषित विकास नीति ऋण के लिए एक निरंतरता होगी। यह शिमला के भीतर हस्तक्षेपों को गहरा करेगा आर राजस्व और लागतों के बीच व्यापक अंतर पर कोविड–19 संकट के प्रभाव मुख्य रूप से पर्यटन गतिविधियों में नुकसान के कारण को संबोधित करेगा।

कार्यक्रम विकास का उद्देश्य एस०जे०पी०एन०एल० की उपयोगिता के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन को मजबूत करना है। और शिमला शहर में जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं में सुधार करना है।

यह कार्यक्रम पीडीओ की उपलब्धि में योगदान करने वाले तीन परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगाः–

- परिणाम क्षेत्र 1:– एस०जे०पी०एन०एल० का बेहतर प्रशासन, प्रबंधकीय और वित्तीय स्वायत्तता।
- परिणाम क्षेत्र 2 :– बेहत्तर क्षमता, वित्तीय स्थिरता और ग्राहक जवाबदेही।
- परिणाम क्षेत्र 3 :– बेहत्तर जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाएँ।

पीडीओ की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित परिणाम संकेत्तक का उपयोग किया जाएगाः–

1. एस०जे०पी०एन०एल० एक स्वायत्त डब्लयू.एस.एस. कंपनी के रूप में मजबूत हुआ।
2. परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधारः–

क) गैर–राजस्व जल 30 प्रतिशत से कम है।

ख) 20 प्रतिशत तक ऊर्जा दक्षता में सुधार।

ग) O&M कोस्ट रिकवरी (इंट्रा–सिटी) कम से कम 200 प्रतिशत ळें

3. वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और नागरिक रिपोर्ट कार्ड सहित प्रकाशन ओर खुलासा।
4. बेहत्तर डब्लयू. एस.एस. सेवाओं से लाभान्वित होने वाल लोगों की संख्या।

<u>इन परिणाम क्षेत्रों में से प्रत्येक के खिलाफ, संवितरण–लंक संकेतक (DLI) शामिल हैः–</u>

- एस०जे०पी०एन०एल० के कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को मजबूत करना।
- एस०जे०पी०एन०एल० की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना।
- अपने ग्राहकों के प्रति जवाबदेह होने के लिए उपयोगिता की क्षमता को मजबूत करना।
- निरंतर जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन तक पहुंच का विस्तार।

प्रमुख परिणाम क्षेत्रों और संबंधित संवितरण से जुड़े संकेतकों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों–संस्थागत सुधार और निवेश किए जाएंगेंः–

- जल की उपलब्धता :– पारेषण लाइनों, जल गुणवत्ता प्रयोगशाला और भंडारण टैंकों में पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए छोटे पम्पिंग सिस्टम।
- एसएमसी क्षेत्र में जल वितरण, वितरण पाइपलाइन और ट्रांसमिशन पाइपलाइन।
- एन.आर.डब्लयू. न्यूनीकरण कार्यक्रम।
- पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (DVSFS) प्रणाली और डिजिटलीकरण।
- सीवरेज सेवाए : सीवर ट्रांसमिशन और नेटवर्क।
- जांचना परखना और शिकायत निवारण तंत्र।
- क्षमता निर्माण।

<u>ई.एस.एस.ए. के बारे मेंः–</u>

विश्व बैंक की नीति के अनुसार, P for R साधन का उपयोग करने के लिए विश्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप : प्रोग्राम–फॉर–रिजल्ट्स फाइनेंसिंग डायरेक्टिव के लिए बैंक निर्देश कार्यक्रम : इस संदर्भ में प्रासंगिक पाए गए मूल सिद्धांतों के आधार पर एक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रणाली मूल्यांकन (ई. एस. एस. ए.) किया गया था और यह रिर्पोट तैयार की गई।

<u>इस ई.एस.एस.ए. ने जांच की :–</u>

क) कार्यक्रम के संभावित ई० और एस० प्रभाव (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रेरित और प्रासंगिक के रूप में संचयी प्रभाव सहितः

ख) उन प्रभावों को प्रबंधित करने के लिए उधारकर्त्ता की क्षमता कानूनी ढांचा, नियामक प्राधिकरण, संगठनात्मक क्षमता और प्रदर्शन।

ग) उधारकर्ता के सिस्टम की तुलना – कानूनों, विनियमों, मानकों, प्रक्रियाओं और कार्यन्वयन प्रदर्शन – कोर सिद्धांतों और प्रमुख योजना तत्वों के खिलाफ उनके बीच किसी भी महत्वपूर्ण अंतर की पहचान करने के लिए जो कार्यक्रम के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

घ) कार्यक्रम प्रबंधन के लिए नीतिगत मुद्दों और कार्यक्रम संचालन के प्रबंधन के लिए क्षमता और प्रदर्शन उपायों की सिफारिश (उदाहरण के लिए, कर्मचारी प्रशिक्षण को लागू करना, संस्थगत क्षमता को लागू करना–कार्यक्रम संचालन योजना के माध्यम से विकास और आंतरिक परिचालन दिषानिर्देशों को अपनाना।

विश्व बैंक की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ई०एस०एस०ए० का निर्माण किया गया था जिसमें प्रारंभिक स्क्रीनिंग, हितधारकों की वचनबद्धता, विश्लेषण, शिकायत तंत्र, सिफारिशें और प्रकटीकरण शामिल हैं।

कार्यप्रणालीः–

कार्यप्रणाली में शामिल हैंः–

क) माध्यमिक साहित्य समीक्षा।

ख) स्क्रीनिंग

ग) परामर्श– क्षेत्र स्तर और राज्य स्तर।

घ) विश्लेषण आर सुधार के लिए ई० और एस० सिस्टम की मजबूती और क्षेत्रों का संरलेषण। जिसके बाद (E) ई०एस०एस०ए० रिर्पोट का तैयार सामुदायिक परामर्श, प्रमुख मुखबिर साक्षात्कार और फोकस समूह चर्चा अगस्त और नवंबर 2020 के बीच हुई थी और हितधारक कार्यशाला 17 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी। ई०एस०एस०ए० के मसौदे को प्राप्त प्रतिपुष्टि का उपयोग करते हुए संशोधित किया गया था और कार्यक्रम योजना के संदर्भ में हितधारक प्रतिक्रिया पर विचार किया गया था।

मुख्य मुद्दे, प्रभाव और विपदा

<u>पर्यावरणः–</u>

जल एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधन है। कार्यक्रम के तहत सभी पहलों का उद्देश्य बेहतर प्रशासन, उन्नत लचीलापन, कुशल और जवाबदेह डब्लयू०एस०एस० सेवाएँ हैं। कार्यक्रम विशेष रूप से कोविड–19 की अवधि के दौरान डब्लयू०ए०एस०एच० अभियान का समर्थन करेगा। कार्यक्रम में जल जनित बीमारियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य लाभ और संबद्ध लागतों में बचत होगी। इसलिए, व्यापक स्तर पर, इन पहलों से राज्य के लोगों के साथ–साथ पर्यावरण को भी लाभ होगाः–

क) संवर्धित जल दक्षता

ख) ऊर्जा दक्षता में सुधार

ग) तीव्र जल गुणवत्ता और सीवेज निपटान प्रबंधन (आवश्यक मानकों को पूरा करने के लिए मजबूत निगरानी शामिल है।

घ)

ड.) सार्वजनिक आउटरीच ओर हितधारक वचनबद्धत्ता में सुधार।

हालांकि, डब्लयू०एस०एस० बुनियादी ढांचे के निर्माण के दौरान कुछ मुद्दे हो सकते हैं, जो अस्थायी हो। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी संभावित प्रतिकूल प्रभाव को ठीक से प्रबंधित किया जाए। प्रस्तावित डब्लयू०एस०एस० अवसंरचना विस्तार में जल आपूर्ति वितरण पाइपलाइन और सीवरेज नेटर्वक शामिल हैं, जिसमें सीमित निर्माण से ई०एच०एस० प्रभाव होता है।

इसमें शामिल होंगे :–

क) शिमला में भूभाग की अविरल प्रकृति के कारण संभावित दुर्घटनाएँ या घटनाएँ।

ख) निर्माण मलबे कचरे का भंडारण, परिवहन और निपटान।

ग) पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के समय पानी या मल रिसाव के अस्थायी प्रभाव।

घ) श्रमिकों और समुदाय के लिए स्वास्थ्य जोखिम, विशेष रूप से प्रचलित कोविड–19 महामारी के संदर्भ में अगर निष्पादन चरण के दौरान श्रमिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन करनेमें लापरवाही होती है।

कार्यक्रम के तहत सभी बुनियादी ढांचे का काम शिमला के भीतर और बसे हुए स्थानों पर किए जाएँगे। कोई भी पर्यावरण–संवदेनशील क्षेत्र जैसे वन या अन्य जैव–विविधता सम्पन्न क्षेत्र नहीं होगे और इसलिए प्राकृतिक आवासों या वन्यजीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सांस्कृतिक संसाधनों पर संभावित प्रभावों की परिकल्पना भी नहीं की गई है।

जैसे कि प्रभाव मामूली, अस्थायी और निर्माण के आसपास के क्षेत्र तक सीमित हैं, इसलिए जोखिम कम–से–मध्यम होने की संभावना है।

सामाजिकः–

ई०एस०एस०ए० के निष्कर्षों से पता चलता है कि कार्यक्रम के सामाजिक प्रभावों को डब्लयू०एस०एस० प्रणालियों और एस०जे०पी०एन०एल० में प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और प्रभावशीलता के कारण साकारात्मक होने की संभावना है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, शासन में सुधार, जवाबदेही और आंतरिक नियंत्रण और सेवा विस्तार को बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, कार्यक्रम में जल जनित बीमारियों की रोकथाम को शामिल किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य लाभ, लागत हौर समय की बचत होगी।

जबकि कार्यक्रम सामाजिक लाभ को बढाने और बड़ी प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार करने का अवसर प्राप्त करता है, महत्व के कुछ मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैः–

क) P for R के तहत वर्तमान कार्यों में निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, यदि भंडारण टैंकों के लिए किसी भी साइट की आवश्यकता होती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है कि कोई सामाजिक प्रभाव नहीं है और इस तहर के बुनियादी ढांचे को बैठाने के लिए केवल अभारग्रस्त साइटस को ही लिया गया है।

ख) सड़कों के किनारे जलाश्यों में संचरण के लिए पाइप बिछाने से अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है जैसे कि कुछ घंटों के लिए उपयोग या सेवाओं में व्यवधान : मौजूदा कृत्यों के प्रावधन से इन पर ध्यान दिया जा सकता है।

ग) कमजोर समूहों–महिलाओं और अन्य परिवारों को भी कार्यक्रम से लाभ होगा और इन पहलुओं की अच्छी तरह से निगरानी की जाती है।

घ) इस शहरी क्षेत्र में जनजातीय आबादी बहुत कम है और सामान्य आबादी में अच्छी तहर से मुख्यधारा में है।

ड.) इसके अतिरिक्त श्रम स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलुओं में मौजूदा कानूनों के तहत ठेकेदार के पालन की और इन पर निगरानी रखने की आवश्यकता होती है।

जी०आर०एम० प्रणाली अच्छी तरह से स्थापित है और शिकायतों की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग और पावती के साथ संचालन, निवारण के लिए शिकायतों को जिम्मेदार अधिकारियों को अग्रेषित करना और यदि आवश्यक हो, तो ग्राहकों की प्रतिक्रिया और क्रास सत्यापन के बाद बंद करना। उपभोक्ता डब्लयू०एस०एस० को एक ही छत के नीचे संबोधित किया जाता है, जिसमें नए कनेक्शन/नाम परिवर्ततन/टैरिफ परिवर्तन/कनेक्शन हटाने/प्लानिगं/अन–प्लानिगं/मीटर का प्रतिस्थापन/नया सीवरेज कनेक्शन/ सीवरेज शिकायतें और अन्य पानी की शिकायतें जैसे पानी की कमी, रिसाव और ओवरफ्लों शामिल है।

जुड़े जोखिमों को स्टाफ वृद्धि के माध्यम से एक पूर्णकालिक सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी और प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण की पहल से कम किया जा सकता है। साथ ही, विभिन्न हितधारकों को जोड़ने के लिए संचार रणनीति का कार्यान्वयन, सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को गति प्रदान करना और घरेलू स्तर पर प्रमुख जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए सर्वाजनिक समर्थन उत्पन्न करना है। यह जवाबदेही और शिकायत निवारण पर तंत्र को शामिल करने, भागीदारी बढ़ाने और मजबूत करने में भी सक्षम होगा। इसलिए सभी जोखिम निम्न से मध्यम श्रेणी में हैं।

राष्ट्रीय और राजकीय कानूनी ढांचाः–

पर्यावरणः–

कानूनी ढांचे में प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ, मानक और अभ्यास शामिल है। यहां दोनों राष्ट्रीय और राज्य कानूनी ढांचे है। राष्ट्रीय स्तर पर, ये लागू विधान हैं : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, वायु (प्रदूषण की रोकाीम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974, ध्वनी प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 निर्माण और विध्वसं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, वन कानून (भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन अधिकार अधिनियम 2006), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, श्रम अधिनियम 1988 और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958, और संबंधित नियम।

राज्य स्तर पर, ये लागू विधान है : हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 और संबंधित नियम, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन–हिमाचल प्रदेश में व्यवहार में निमय और विनियमन–अधिनियमों, नियमों का संकलन, अधिसूचानाएँ अद्यतन 2018, हि०प्र० भू–जल (विकास और विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2005 और निमय, हिमाचल प्रदेश प्राचीन और ऐतिहासिक स्माारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1976 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) आदेश।

यह कार्यक्रम किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता जैसे राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के अनुसार मंजूरी या अनुमति या सहमति को पूरा नहीं करता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि डब्लयू०एस०एस० की आधारिक संचना जैसे पानी की आपूर्ति की पाइपलाइनों और सीवरेज नेटर्वक के लिए सामान्य अर्थों में कोई प्रक्रियात्मक आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यदि तालिका में उल्लिखित कार्यान्वयन के दौरान विशिष्ट परिस्थितियां हैं, तब प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं लागू होती हैं। यदि नहीं, तो यह मानक और प्रथाएं हैं जिन्हें राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के अनुरूप अपनाने की आवश्यकता है।

सामाजिकः–

कानूनी ढांचे में अधिनियम, विनियम, नियम और मानक शामिल हैं। मजबूत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कानूनी ढांचा विशेष रूप से हितधारकों के लिए प्रासंगिक सामान्य और सामाजिक पहलुओं में एस०जे०पी०एन०एल० के कामकाज को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय स्तरपर, निम्नलिखित अधिनियम प्रासंगिक पाए जाते हैं : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948ः बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986ः उचित मुआवजा, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास अधिनियम 2013ः जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय नीति 1999 : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005ः कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, निषेध और निवारण अधिनियम 2013ः भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (सेवा का नियमन और शर्ते) केंद्रिय नियम, 1998 : अतंर–राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 शामिल है।

राज्य स्तर पर निम्नलिखित कानून प्रासंगिक पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तारंण (विनियमन) अधिनियमन 1968, भूमि सुधार विधान हिमाचल प्रदेश गाांव सामान्य भूमि वेस्टिंग और उपयोग नियम 1974, राजपत्र अधिसुचना शहरी विकास विभाग, 22 सितंबर 2018, हिमाचल प्रदेश राजय जल नीति 2013, हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति अधिनियम 1968 (1969

का अधिनियम 8), हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारटीं अधिनियम 2014, एस०जे०पी०एन०एल० का नागरिक घोषणा–पत्र, समय–समय पर श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश, GoHP द्वारा जारी कोविड से संबंधित या शिमला के लिए लागू अधिसूचानाएं, भूमि की प्रत्यक्ष खरीद के लिए GoHP की अधिसूचना, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994। यह कार्यक्रम किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता जैसे कि निकासी या आनुमति या कानूनी ढांचे के अनुसार सहमति प्रदान नहीं करता है। हालांकि, काम करने वाले ठेकेदारों को आवश्यकत लाइसेंस प्राप्त करने और आवधिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के रूप में, ऊपर प्रस्तुत कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा। एस०जे०पी०एन०एल० और अन्य कार्यान्वयन भागीदारों को राष्ट्रीय और राज्य कानूनी ढांचे के अलावा प्रक्रियाओं और अधिसूचनाओं का पालन करना होगा।

संस्थागत प्रणालियों का मूल्यांकन–नियामक

पर्यावरणः–

जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, बैंक के कार्यक्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कोई प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं नहीं है। विशिष्ट रूप से पानी की आपूर्ति पाइपलाइन और सीवरेज पाइप नेटवर्क से संबंधित निवेश नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं है। हालांकि सामान्य पर्यावरणीय मानक और प्रथाएं लागू है।

सामाजिकः–

जैसे कि ऊपर पर्यावरण अनुभाग में उल्लिखित है, समाजिक मुद्दों से संबंधित प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं भी नहीं है। काम के लिए लगे ठेकेदारों को उपर्युक्त श्रम नियमों का पालन करना आवश्यक है और इन्हें एस०जे०पी०एन०एल० द्वारा निगरानी रखने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से पानी और आपूर्ति पाइपलाइन और सीवरेज पाइप नेटवर्क से संबंधित निवेश नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं है। हालांकि एस०जे०पी०एन०एल० की मानक प्रथाएं लागू हैं।

बैंक के कार्यक्रम के नियामक सिस्टम में कोई अतंराल नहीं हे, जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है और नियमों से संबंधित संगठनात्मक क्षमता को सुव्यवस्थित किया जाता है।

संस्थागत प्रणालियों का आकलन–कार्यक्रम स्तरः–

पर्यावरणः–

कार्यक्रम के स्तर पर एस०जे०पी०एन०एल० की जिम्मेदारियों के विस्तार के साथ, इनकी जरूरत हैः–

क) एक पूर्णकालिक पर्यावरण विशेषज्ञ की स्थिति और

ख) संस्थागत बनाने के लिए संरचित और प्रलेखित प्रक्रियाओं को स्थापित और बनाए रखना, व्यक्तिगत कर्मचारियों पर कम निर्भर रहना और इसके लिए एस०जे०पी०एन०एल० की गतिविधियों के विकास के साथ प्रभावी होना।

ग) पर्यावरण विशेषज्ञ की पूर्णकालिक स्थिति पर्याप्त होनी चाहिए।

ठेकेदार, सलाहकार और तीसरे पक्ष की निगरानी एजेंसियों के भीतर भी पर्यावरणीय क्षमता होगी, साथ में, कार्यक्रम के तहत एस०जे०पी०एन०एल० की गतिविधियों के ई०एच०एस० प्रभावों का प्रबंधन करना संभव होगा।

घ) इन प्रक्रियाओं में पानी और सीवेज की गुणवत्ता पानी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पहलुओं, ई०एच०एस० को बोली। अनुबंध दस्तावेजों क साथ एकीकृत करना और स्त्रोत संरक्षण पहलों में संलग्न करने वालों को शामिल किया जाना चाहिए। वैश्विक डब्लयू०एस०एस० उपयोगिता साझेदारी के समर्थन के साथ जो बैक के कार्यक्रम जो बैंक के कार्यक्रम डिजाइन का एक हिस्सा है, इसे खोजा और सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।

<u>सामाजिकः–</u>

वर्तमान में एस०जे०पी०एन०एल० के भीतर कोई अलग सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी नहीं है, और आवश्यक कर्तव्यों को एक ई और एस विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। हालांकि, बढ़े हुए GoHP कार्यक्रम और बैंक के कार्यक्रम के कारण अतिरिक्त गतिविधियां होनी है। इसलिए इस अध्ययन ने अनुपालन, नियामक, परिचालन के साथ–साथ क्षमता वृद्धि गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्राथमिकता पर एक सामाजिक सुरक्षा उपयों को शामिल करके संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता की पहचानकी। ठेकेदार और पी०एम०सी० के सामाजिक सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत करें। एस०जे०पी०एन०एल० में एक निष्ठित जी०आर०एम० सेल है जो दो वर्षों से प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। जलसखियों के 12 समूह अलग–अलग बार्डों में गठित किए गए हैं, जो जल संरक्षण, स्वैच्छिक बिलिंग और एस०जे०पी०एन०एल० के सत्त जल आपूर्ति कार्यक्रम के बारे में लोगों की शिक्षित करती है और साथ ही साथ एस०जे०पी०एन०एल० की विस्तरित शाखा का संचालन करती है और एस०जे०पी०एन०एल० को आपने ग्राहक के प्रयासों में मदद करती हैं।

<u>कौर सिद्धांतों के खिलाफ मूल्यांकनः–</u>

कोर सिद्धांत # 1 ई० और एस० प्रबंधन प्रणाली

भारत सरकार/ हिमचाल सरकार की नियामक प्रणालियों –पर्यावरण,वन

और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और विनियम का मूल्यांकन किया गया और पर्यावरणीय प्रभावों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त पया गया। कार्यक्रम के स्तर पर एस०जे०पी०एन०एल० में पूर्णकालिक पर्यावरण कर्मचारी नियुक्त करना प्रस्तावित है। यह कर्मचारी एक और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करना प्रस्तावित है। यह कर्मचारी एक और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने ओर दूसरी ओर एस०जे०पी०एन०एल० कर्मचारियों, सलाहकारों और ठेकेदारों के बेहतर ऑन–द–ग्रांउड पर्यावरण प्रदर्शन के लिए प्रक्रियाओं और प्रथाओं को व्यवस्थित बनाने में लगे रहेंगे। विभिन्न अवसंरचना गतिविधियों के निर्माण से संबंधित ई०एच०एस० प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी डब्लयू०एस००एस० बुनियादी ढांचे की योजना, डिजाइन और निष्पादन में, कार्यक्रम बेहतर पर्यावरण प्रदर्शन केलिए प्रयास करेगा। प्रक्रियाओं

और प्रथाओं को बेहतर बनाने केलिए, इस ई०एस०एस०ए० के कार्यक्रम योजना के एक हिस्से के रूप में प्रलेखित प्रबंधन प्रणालियों की सिफारिश की गई है। उस जगह के साथ, सिस्टम इस मूल सिद्धांत के अनुरूप होगा।

भारत सरकार/हिमाचल सरकार की विनियामक प्रणाली–सामाजिक, श्रम शहरी विकास, सार्वजनिक सेवा गरंटी, नागरिक चार्टर, भूमि प्रशासन और राजस्व, शहर और देश योजना अधिनियम/विनियम का मूल्यांकन किया गया और सामाजिक प्रभावों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पाया गया। सामाजिक संबंध में, कोई नियामक अनुपालन सीधे एस०जे०पी०एन०एल० के लिए लागू नहीं होते हैं, विशेष रूप से प्रस्तावित परियोजना गतिविधियों के कारण।

सिस्टम का प्रदर्शन प्रभावी पाया गया। कमजोर और गरीब उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचान वाली टैरिफ और कनेक्शन नीतियां जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से परियोजना लाभ केलिए समान पहुंच कार्यक्रम में अच्छी तरह से अंतर्निहित है और ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में इसकी निगरानी की जाएगी।

क्षमता निर्माण और मजबूत संचार रणनीति के साथ मिलकर एक पूर्णकालिक सामाजिक सुरक्षा कर्मचारियों के रूप में प्रस्तावित वृद्धि। सुदृढ़ीकरण कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा उपयों में वांछित प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। प्रक्रियाओं और प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए, इस ई०एस०एस०ए० कार्यक्रम योजना के एक हिस्से के रूप में प्रलेखित प्रबंधन प्रणालियों की सिफारिश की गई है। उसके बाद सिस्टम इस मूल सिद्धांत के अनुरूप होगा।

कोर सिद्धांत 2 : प्राकृतिक आवास और सांस्कृतिक संसाधन, प्राकृतिक आवासों, विशेष रूप से जगलों और पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्रों मूल्यांकन किया गया और प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त पाया गया। वन भूमि और प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वन मंजूरी अनिवार्य है। सांस्कृतिक धरोहरों जैसे कि संरक्षित स्मारकों की निकटता में निर्माण को भी विनियमित किया जाता है और मौके के निष्कर्षों को संबोधित करने के लिए एक दिशानिर्देश है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास या भौतिक सांस्कृतिक विरासत की कोई महत्वपूर्ण रूपांतरण या गिरावट की परिकल्पना नहीं की गई है। एस०जे०पी०एन०एल० इन नियामक आवश्कताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जागरूक और सक्षम है। इसलिए, इस मूल सिद्धांत की स्थिरता की पुष्टि की जाती है।

कोर सिद्धांत 3 : सार्वजनिक और कार्यकर्त्ता सुरक्षा

सार्वजनिक और श्रमिक सुरक्षा को आमतौर पर बोली। अनुबंध दस्तावेजों में प्रावधानों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है जो कि एस०जे०पी०एन०एल० अपने ठेकेदारों की खरीद केलिए उपयोग करेगा। प्रावधानों को ठेकेदारों के साथ समझौतां का हिस्सा बनाया जाएगा और इसकी निगरानी एस०जे०पी०एन०एल० द्वारा की जाएगी। हालांकि, इन प्रावधानों की समीक्षा की गई और इन्हें सामान्य पाया गया। इन्हें उन सुरक्षा मुद्दों को शामिल करने के लिए मजबूत किया जात सकता है जो विशेष रूप से पानी की आपूर्ति और सीवरेज पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रासंगिक है।

एस०जे०पी०एन०एल० निर्माण के लिए सभी प्रासंगिक कोड़, मानकों और दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए प्रतिवद्ध है और उनके पर्यावरण कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय केरंगे, कि इन सभी आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से और प्रीभावी ढंग से पालन किया जाता है। चूंकि सिविल कार्य अनुबंधों में सुरक्षा आवश्यकताओं को मजबूत करने और सुव्यवस्थित करने की गंजाइश है, इसलिए इसे ई०एस०एस०ए० कार्यक्रम कार्य योजना में शामिल किया गया है यानि नागरिक कार्यों के लिए अनुबंध और बोली प्रावधानों को बढ़ाना और एस०जे०पी०एन०एल० के तकनीकि और पर्यावरण कर्मचारियों को अपने प्रशासन पर प्रशिक्षित करना। प्रचलित कोविड–19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, हालांकि एस०जे०पी०एन०एल०, एम०एच०ए०, सी०पी०डब्लयू०डी०, GoHP द्वारा जारी दिशानिर्देश। प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है, कार्य योजना में कोविड में संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताएं शामिल है जैसे कि फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना जो ठेकेदार और उप–ठेकेदार कर्मियों की आवश्यकता हो सकती है। प्रचलित श्रम कानून सख्ती से बाल श्रम के साथ–साथ मजदूर श्रम को प्रतिंबधित करते हैं। हि०प्र० राज्य महिला आयोग, महिला और बाल कल्याण विभाग के माध्यम से कार्य स्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2003 के कार्यान्वयन और बड़े पैमाने पर एस०ई०ए०/एस०एच० जोखिम को संबोधित करता है, श्रमिकों के लिए आचार संहिता लागू करना इस क्षेत्र में जोखिम को कम करेगा और साथ ही इस मूल सिद्धांत के लिए स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

<u>मुख्य सिद्धांत 4:–</u> कार्यक्रम ई० और एस० सिस्टम अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों के नुकासान का प्रबंधन करता है। एक तरह सेजो विस्थापन की कम से कम करता है और प्रभावित लोगों को सुधारने या न्यूनतम बहाली, उनकी आजीविका और जीवन स्तर को सुधारने में मद्द करता है। हिमाचल सरकार आम तौर पर सरकार से संबंधित भूमि की पहचान करता है जो मुख्य रूप से राजस्व या बंजर भूमि है (जिसे हि०प्र० की राज्य बनभूमि के तहत वर्गीकृत किया गया है) और जिस स्थापित सरकारी प्रक्रियाओं का उपयोग करके आंतरिक स्थानांतरण किया जा सकता है। वन भूमि के मामले में एफ०सी०ए० मंजूरी प्राप्त की जाती है। पिछले अभ्यासों की समीक्षा के अनुसार, एस०जे०पी०एन०एल० राजस्व विभाग से अनुरोध करता है कि वह असिंचित भूमि की पहचान करे और विभाग यह पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग करे कि निर्माण केलिए चुनी गई भूमि किसी भी अतिक्रमण से मुक्त है। निर्माण केलिए व्यक्तियों या समुदाय स भूमि अधिग्रहण या भूमि हस्तांतरण की कोई आवश्यता नहीं है। कार्यक्रम में कोई भी निर्माण शामिल नहीं होगा जहां भूमि अधिग्रहण या निजी भूमि हस्तांतरण की आवश्कता हो या कोई भी भूमि जिसके लिए स्पष्ट शीर्षक सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध आर०ओ०डब्लयू० के भीतर भी पाइपलाइनों को बिछाने और भवन का निर्माण शामिल है। जहां सरकारी भूमि का उपयोग किया जाना आवश्यक है, उसे जल–शक्ति विभाग में स्थानांतरित किया जाएगा जो बदले में इसे एस०जे०पी०एन०एल० को पट्टे पर देगा।

<u>मुख्य सिद्धांतः–</u>

कार्यक्रम ई० और एस० सिस्टम की सांस्कृतिक उपयुक्तता और समान पहुंच के लिए उचित विचार देता है, कार्यक्रम का लाभ, स्वदेशी लोगों। उप–सहारा अफ्रीकी ऐतिहासिक रूप से

रेखांकित पारंपरिक स्थानीय समुदायों के अधिकारों, हितों और कमजोर समूहों की जरूरतों या चिंताओं पर विशेष ध्यान देते हैं।

परियोजना का शहरी शिमला क्षेत्र है और इस तरह से स्वदेशी लोगों या जनजातीय समूहों और छोटी संख्याओं से मिलकर नहीं बनता है। साथ ही इन लोगों को सामान्य आबादी में मुख्यधारा में शामिल किया गया है। मांग के अनुकूल डब्लयू०एस०एस० सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए, विकेंद्रिकृत योजना, कार्यान्वयन और सामाजिक जवाबदेही के लिए कानूनी। विनियामक प्रणाली मजबूत है। इसके अलावा, कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान मौजूद है।

मुख्य सिद्धांत 6 :– सामाजिक संघर्ष विशेष रूप से नाजुकता नहीं देखी गई । कार्यक्रम क्षेत्र में कोई विवाद या क्षेत्रीय विवाद नहीं है।

विचार–विमर्शः–

पर्यावरण पहलुओं पर निम्नलिखित हितधारकों ने उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान की वन विभाग, पर्यटन विभाग, जल शक्ति विभाग। आईपीएच विभाग, होटल एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश पीसीबी। मुख्य पहलू इस प्रकार थेः–

- एस०जे०पी०एन०एल० को जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद जल आपूर्ति की उपलब्धता और गणवत्ता दोनों के मामलों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- सीवरेज कनेक्शन केवल 50 फीसदी ही है और लगभग 53 फीसदी खुले नालों के साथ जल निकासी पूरी तरह से बंद नहीं है।
- शिमला में सीमित या कोई भू–जल अमूर्त और भू–जल प्रदूषण नहीं है।
- स्थानीय ठेकेदारों द्वारा किए गए सिविल कार्यों से समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकि वे निर्माण के दौरान वायु, जल और ध्वनि प्रदूष की उचित देखभाल नहीं करते हैं।
- बारिश के दौरान नागरिक कार्य सुरक्षा चिंताओं का कारण बन सकते है।
- वर्तमान जल स्त्रोतों के आसपास के क्षेत्र में कुद वन क्षेत्र हैं जो शिमला को पानी की आपूर्ति करते हैं। यह महत्वपूर्ण है, कि ये स्त्रोत संरक्षित हों।

सामाजिक पहलुओं पर उपरोक्त (पर्यावरण अनुभाग में शामिल) के अलावा, निम्नलिखित हितधारकों ने उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान की : उपभोक्ता समूह, व्यक्तिगत उपभोक्ता, एस०जे०पी०एन०एल० का शिकायत निवारण तंत्र कर्मचारी, जलसखी, एस०जे०पी०एन०एल० के जनसंर्पक अधिकारी और संचार अधिकारी, एस०जे०पी०एन०एल० के तकनीकी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, राजस्व विभाग, आईपीएच, एचपीपीसीबी आदि, मुख्य पहलु इस प्रकार थेः–

- एस०जे०पी०एन०एल० के भीतर शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली सक्रिय रूप से काम कर रहा है और मुख्य रूप से वॉल्यूमेट्रिक टैरिफ, रीसाव और स्वच्छता के बारेमें संबोधित कर रहा है। कर्मचारियों की शक्ति और क्षमता को बढ़ाने के साथ–साथि उपलब्ध विभिन्न जी०आर०एम० को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

- नागरिकों के साथ परामर्श ने संकेत दिया कि पानी की आपूर्ति के अनिश्चित समय के कारण, उपभोक्ताओं, मुख्य रूप से महिलओं को उनकी नियमित सेवाओं में भाग लेने में कठिनाई होती है।
- राजसव विभाग एल.ए.आर.आर. अधिनियम क माध्यम से भूमि अधिग्रहण कराने के लिए सरकार के निर्देशों पर कार्य करता है। विभाग एस०जे०पी०एन०एल०/आई०पी०एच० की ओर से सीधी खरीद (2015) की अधिसूचना के अनुसार बातचीत भी करेगा, एस०जे०पी०एन०एल० को सरकारी भूमि के हस्तांतरण के मामले में भूमि आईपीएच को निशुल्क हस्तांतरित की जाती है और बदले में आईपीएच को इसे एस०जे०पी०एन०एल० को पट्टे पर देना होगा।
- श्रम विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के संबंध में चिंता के तीन क्षेत्रों की पहचान की, वे हैं स्वास्थ्य, सुरक्षा और कलयाण। नामित् अधिकारी श्रम शिवरों, कार्य–स्थलों पर इन तीनों क्षेत्रों की स्थितियों का आकलन करने के लिए समय–समय पर निरीक्षण करते हैं।
- श्रम विभाग के भीतर, शिकयतें सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं और चारों स्तरों में संबोधित की जाती है। आमतौर पर, मुद्दे कल्याण के मोर्चे पर होते हैं और इसमें मजदूरी, रोजगार का नुकसान, बकाया भुगतान नहीं करना शामिल हैं।
- कोई विशेष कानून एस०जे०पी०एन०एल० के लिए लागू नहीं है, लेकिन ठेकेदारों को लाइसेंस प्राप्त करना और अवधि अनुपालन रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है।
- एस.ई.ए./एस.एच. और लिंग श्रम विभाग द्वारा नहीं बल्कि महिला और बाल कल्याण विभाग द्वारा संबोधित किए जाते हैं।
- श्रमिक यूनियनों के रूप में बना सकते हैं और अपनी आवाज व्यक्त कर सकते हैं। स्थानीय रूप स यूनियन सीटू के रूप में जानी जाती है, यूनियन लोकप्रिय है और एक मजबूत आवाज है।

17 दिसंबर, 2020 को आयोजित हितधारक कार्यशला से,निम्नलिखित मुख्य पहलू थेः–

पर्यावरण :–

क) पानी के प्राकृतिक स्त्रोतों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ाने का महत्त्व।

ख) वर्षा जल संचयन और शहर के भीतर प्रथाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता और

ग) जलवायु परिवर्तन प्रभावों और जल संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता के संदर्भ में लचीलापन बनाने की आवश्यकता है।

सामाजिक :–

क) ठेकेदारों द्वारा श्रम कानूनों और प्रलेखन का अनुपालन करने का महत्व

ख) पानी की आपूर्ति का सयम।

ग) नियमित बिलिंग चक्र बनाए रखना।

घ) पानी और स्वच्छता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए हितधारक एजेसियों का समन्वय।

ड.) उपभोक्ता आउटरीच के तरीके।

च) जनता की धारणा और प्रतिक्रिया एकत्र करना।

इन सभी को बैंक के प्रोग्राम डिजाइन और हिमाचल सरकार के समग्र डब्लयू.एस.एस.ए. कार्यक्रम के संदर्भ में माना गया था।

प्रकटीकरणः–

ई.एस.एस.ए. के मसौदे का पहली बार 17 दिंसबर, 2020 को आयोजित हितधारक कार्यशाला से पहले खुलासा किया गया था। कार्यशाला के दौरान प्राप्त प्रतिपुष्टि का उपयोग ई.एस.एस.ए. को परिष्कृत करने और अंतिम रूप देने के लिए किया गया था। एक बार पूर्ण होने पर, ई.एस.एस.ए. का खुलासा एस०जे०पी०एन०एल० की वेबसाइट और वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर भी किया जाएगा। ई.एस.एस.ए की प्रिंट प्रतियां एस०जे०पी०एन०एल० कार्यालय में अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।

निष्कर्ष–कार्यक्रम बहिष्करणः–

पर्यावरणः–

यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक के कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी कि गतिविधियों में P for R वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं है। यह पुष्टि की गई किः–

- महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक आसास या सांस्कृतिक विरासत स्थलों का कोई रूपांतरण या गिरावट नहीं।
- कोई हवा, पानी या मिट्टी का प्रदूषण व्यक्तियों, समुदायों या पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थय या सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों के लिए अग्रणी नहीं है।
- कार्यस्थल की कोई स्थिति नहीं जो श्रमिकों को स्वास्थय और व्यक्तिगत सुरक्षा केलिए महत्वपूर्ण जोखिमों का खुलासा करती है।
- ट्रांसबांउडरी प्रभावों या ग्रीनहाऊस गैस (जी.एच.जी.) उत्सर्जन जैसे वैश्विक प्रभावों सहित बड़े भौगालिक क्षेत्रों को कवर करने का ई० और एस० पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं है।
- कोई महत्वपूर्ण संचयी, प्रेरित या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है।

कार्यान्वयन के दौरान, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा की ऐसी सभी गतिविधियों को बाहर रखा जाएगा।

सामाजिकः–

यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक के कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी की गतिविधियों में P for R वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं है। यह पुष्टि की गई किः–

- कोई भूमि अधिग्रहण या किसी पैमाने या प्रकृति का पुनर्वास नहीं जो प्रभावित लोगों या मजबूर बेदखलियों के उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- भूमि के उपयोग या भूमि और प्राकृतिक संसाधनों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन नहीं।
- ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है जिसमें जबरन या बाल श्रम का उपयोग शामिल हो।
- सामाजिक समूहों के भीतर या बीच का कोई हाशिए या संघर्ष नहीं।
- गतिविधियां जो नहीं होगी।
- पारंपरिक स्वामित्व या प्रथागत उपयोग या व्यवसाय के अधीन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- स्वदेशी लोगों के स्थानांतरण के कारण या उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

प्रोग्राम डिजाइन में संभावित रूप से महत्वपूर्ण, प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव नहीं है। कार्यान्वयन के दौरान, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ऐसी सभी गतिविधियों को बाहर रखा जाए।

जांच–परिणाम–विशेषताएंः–

पर्यावरणः–

- डब्ल्यू०एस०एस० पर हिमाचल सरकार और बैंक के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। चुंकि पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, डब्ल्यू०एस०एस० प्रबंधन के किसी भी सुधार–बैंक के कार्यक्रम का ध्यान शिमला में सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों के परिणामस्वरूप होगा।
- डब्ल्यू०एस०एस० क्षेत्र में, संभावित नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों में स्त्रोत अस्थिरता, खराब पानी की गुणवत्ता, थोक आपूर्ति और वितरण के दौरान पानी की बर्बादी, सीवरेज, पानी या सीवरेज लाइन संरेखण और निर्माण संबंधी पर्यावरण, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावों के कारण प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर प्रभाव।
- कोई राष्ट्रीय या राजकीय पर्यावरणीय प्रक्रियात्मक नियामक आवश्यकताएं नहीं हैं, जो सीधे ठेकेदारों पर लागू होती है, जो निर्माण से संबंधित प्रभावों केलिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि, पर्यावरण मानकों और दिशानिर्देश, विशेष रूप से विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्रासंगिक होगे और इसका पालन करना होगा। इसी तरह सामाजिक प्रक्रियाओं के संबंध में कोई विशेष मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। हितधारकों, ठेकेदारों/विभागों को संबंधित प्रावधानों के अनुसार वैधानिक प्रावधानों/जनादेशों का पालन करना होगा।
- चूंकि जल वितरण पाइलाइनों और सीवरेज नेटवर्क से संबंधित बुनियादी ढांचा गतिविधियां शहरी क्षेत्रों के भीतर होगी, इसलिए वन भूमि का उपयोग करने की संभावना कम होगी। हालांकि, यदि ऐसी कोई आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जानी चाहिए।

- एस०जे०पी०एन०एल० के भीतर संस्थागत प्रणालियों को पिछले कुद वर्षों में एस०जे०पी०एन०एल० अनुभव के आधार पर विकसित किया जाना जारी रहेगा। हालांकि प्रस्तावित पर्यावरण कर्मचारी योजनाएं पर्याप्त हैं, परियोजना अवधि में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।
- जबकि प्रावधानों में ई०एच०एस० मुद्दे हैं कि एस०जे०पी०एन०एल० निर्माण ठेकेदारों को अनुबंध देता है, जबकि अक्सर व्यवहार में इनका पालन नहीं किया जाता है। ठेकेदार इन प्रावधानों मं ढीले पड़ते हैं, और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक और श्रमिक सुरक्षा से संबंधित जोखिम हो सकते है। अनुबंध और अनुबंध प्रशासन में ई०एच०एस० प्रबंधन को एकीकृत करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

सामाजिकः–

सामान्य तौर पर, डब्ल्यू०एस०एस० सेक्टर में संभावित नकारात्मक सामजिक प्रभावों में सेवाओं केलिए समान पहुंच, विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के लिए उपलब्ध पानी की गुणवत्ता और मात्रा शामिल हैं, पुनर्वास और आजीविका पर प्रभाव के मामले में कार्यों के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण, अल्पकालिक निर्माण की आवश्यकता होती है। संरचनाओं पर प्रभाव और उन तक पहुंच, यातायात में अस्थायी व्यवधान, श्रम पहलुओं, एस.ई.ए./एस.एच., सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम भी डब्ल्यू०एस०एस० कार्यों में योगदान कर सकते हैं।

- GoHP के कार्यक्रम और डब्ल्यू०एस०एस० पर बैंक के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सकारात्मक सामाजिक प्रभाव होगे।
- ई०एस०एस०ए० अध्ययन ने उल्लेख किया कि एस०जे०पी०एन०एल० में डीपीएल–1 के हिस्से के रूप में मजबूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन ने उपरोक्त प्रतिकुल प्रभावों की संभावना को काफी कम कर दिया है। वर्तमान P for R कार्यों के लिए किसी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और इसलिए पुनर्वास और आजीविका के प्रभावों से बचा जाता है। अस्थायी निर्माण चरण प्रभावों को संबोधित करने क लिए प्रावधान हैं, जिन्हें बोलियों और अनुबंधों मे प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया जाएगा।
- भारत सरकार/हिमाचल सरकार की विनियामक प्रणाली–सामाजिक, श्रम, शहरी विकास, सार्वजनिक सेवा गरंटी, नागरिक चार्टर, भूमि प्रशासन, शहर और देश योजना आधिनियम/विनियम–सामाजिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त पाए गए। सामाजिक के संबंध में, कोई नियामक अनुपालन सीधे एस०जे०पी०एन०एल० के लिए लागू नहीं होते हैं उन्हें विशेष रूप से योजना द्वारा शुरू किया जाता है। सिस्टम का प्रदर्शन प्रभावी पया गया है। हितधारकों, ठेकेदारों विभागों को हालांकि संबंधित प्रावधानों के अनुसार वैधानिक प्रावधानों जनादेशों का पालन करना होगा। कार्यक्रम के स्तर पर, ई०एस०एस०ए० अध्ययन ने एस०जे०पी०एन०एल० में पूर्णकालिक सामाजिक कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता को मान्यता दी। यह कर्मचारी एक तरफ एस०जे०पी०एन०एल० ठेकेदार और अन्य हितधारकों द्वारा संबंधित सामाजिक अनुपालन सुनिश्चित करने में लगे रहेंगे, और दूसरी और एस०जे०पी०एन०एल० कर्मचारियों,

सलाहकारों और ठेकेदारों के बेहतर ऑन–द–ग्रांउड सामाजिक प्रदर्शन के लिए प्रक्रियाओं और प्रथाओं को व्यवस्थित बनाने में लगे रहेंगे। जबकि प्रस्तावित सामाजिक कर्मचारी योजनाएं पर्याप्त हैं, परियोजना अवधि में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर पर्यापत ध्यान देने की आवश्यकता है।

- निष्कर्षों के पहले पर्यावरणीय खण्ड में उल्लिखित ई०एच०एस० मुद्दों को अक्सर व्यवहार में पालन नहीं किया जाता है। ठेकेदार इन प्रावधानों पर विशेष रूप से श्रम वर्स्ती, न्यूनतम मजदूरी, सामुदायिक सुरक्षा और आकर्षक श्रम के संबंध में वैधानिक अनुपालन के क्षेत्रों में सुस्त होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों पर जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।

संस्थागत सुदृढीकरण के लिए सिफारिशें:–

निम्नलिखित तालिका में पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एस०जे०पी०एन०एल० द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की सूची शामिल है:–

संख्या	विवरण	समय	पूरा करने का संकेतक
	पर्यावरणीय		
1	एस०जे०पी०एन०एल० में पूर्णकालिक पर्यावरण कर्मचारी स्थापित करें।	प्रभावशीलता से पहले।	पूरा कर लिया है।
2	एस०जे०पी०एन०एल० के भीतर प्रलेखित पर्यावरण प्रणालियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना और बनाए रखना।	एक साल का अंत	प्रलेखित प्रणाली और प्रक्रिया विकसित और सुव्यवस्थित।
3	सिविल कार्यों के लिए ई०एच०एस० से संबंधित सभी अनुबंध प्रावधानों की समीक्षा करें और उन्हें मजबूत करें, विशेष रूप से पानी की आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवरेज नेटवर्क से संबंधित है।		मानक एस०जे०पी०एन०एल० बोली/अनुबंध दस्तावेजों में ई०एच०एस० प्रावधान शामिल हैं।
4	परीक्षण ई०एच०एस० प्रावधान, सिविल कार्यों, स्त्रोत संरक्षण गतिविधियों और अन्य में निगरानी और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की समीक्षा और मजबूती।	एक साल का अंत	बेली मूल्यांकन प्रक्रिया में ई०एच०एस० मानदंड शामिल हैं।
5	सिविल कार्यों के ठेकेदार के ई०एच०एस० प्रदर्शन की निगरानी और प्रगति रिपोर्ट की स्ट्रीमिंग	एक साल का अंत	एस०जे०पी०एन०एल० द्वारा ई०एच०एस० प्रदर्शन अनुपालन की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट के प्रमाण।
6	एस०जे०पी०एन०एल० कर्मचारियों, ठेकेदार कर्मचारियों और सलाहकारों के लिए ई०एच०एस० प्रबंधन पर उन्मुखीकरण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण में संलग्न करना।	एक साल का अंत	प्रशिक्षण के साक्ष्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

समाजिकः–

1	एस०जे०पी०एन०एल० के मुख्य कार्यालय में एक सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त करें।	प्रभावशीलता से पहले	कर्मचारी नियुक्त
2	एस०जे०पी०एन०एल० के भीतर प्रलेखित सामाजिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना और बनाए रखना।	एक साल का अंत	प्रलेखित प्रणाली और प्रक्रिया विकसित और सुव्यवस्थित
3	बैंक पोषित गतिविधियों में नागरिक कार्यों के लिए सामाजिक सभी अनुंबध प्रावधानों की समीक्षा करें और उन्हें मजबूत करें।	एक साल का अंत	मानक एस०जे०पी०एन०एल० वाली अनुबंध दस्तावेजों में समाजाकि प्रावधान शामिल हैं।
4	समाजिक जोखिम और शमन उपयों पर अनुबंध प्रक्रियाओं की समीक्षा करें और उन्हें मजबूत करें।	एक साल का अंत	साक्ष्य मूल्यांकन प्रक्रिया में समाजिक जोखिम न्यूनीकरण को मानदंड के रूप में शामिल किया गया है।
5	सिविल कार्यों में ठेकेदार की सामाजिक प्रणाली के प्रर्दशन की निगरानी और प्रगति रिपोर्ट की स्ट्रीमिंग।	एक साल का अंत	समाजिक प्रदर्शन अनुपालन की पुष्टि करने वाली एस०जे०पी०एन०एल० द्वारा तैयार की गई रिपोटों के प्रमाण
6	समाजिक प्रबंधन नियमों और प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण योजना और मॉडयूल विकसित करना, संचार रणनीति और आई.ई.सी. सामग्री और सत्त आधार पर एस०जे०पी०एन०एल० कर्मचारियों, ठेकेदारों और सलाहकारों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।	एक साल का अंत	प्रशिक्षण के साक्ष्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

पी०ए०पी० के लिए सिफारिशेंः–

कार्यान्वयन सहायता के लिए सिफारिशेंः–

पर्यावरणः–

बैंक का कार्यक्रम नीति सुधार और संस्थागत विकास और जल आपूर्ति वित्तरण पाइपलाइनों और सीवरेज नेटवर्क से संबंधित बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रित है। इनमें से बैंक के कार्यान्वयन समर्थन को मुख्यतः एस०जे०पी०एन०एल० की पर्यावरण प्रबंधन क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पर्यावरण मुद्दों पर अन्य हितधारक विभागों के साथ जागरूकता और क्षमता निर्माण, सुव्यवस्थित प्रणली और प्रक्रियाओं और नेटवर्किंग को मजबूत किया जाना चाहिए।

सामाजिकः–

बैंक का कार्यान्वयन समर्थन को सामाजिक मुद्दों पर अन्य हितधारक विभागों के साथ जागरूकता और क्षमता निर्माण, सुव्यवस्थित प्रणाली और प्रक्रियाओं और नेटवर्किंग के बाद प्राथमिकता पर एस०जे०पी०एन०एल० में सामाजिक कर्मचारियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई जीआरएमको एकीकृत करने के लिए आईटी सिस्टम को मजबूत करना, महिला जीआरएम के कार्यकारी कर्मचारियों को बढ़ाना, जलसखी के माध्यम आउटरीच गतिविधियों को मजबूत कर कार्यक्रम में जल्दी लागू किया जाना चाहिए।

जीआरएम अधिकारियों को संसर्ग यात्रा और प्रशिक्षण, जलसखियां हितधारक। उपभोक्ता संतुष्टि के बारे में अपने समग्र प्रदर्शन को बढाएंगे और कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में एस०जे०पी०एन०एल० की मद्द करेंगे।

निष्कर्षः–

कुल मिलाकर, ई०एस०एस०ए० ने खुलासा किया है कि बैंक के कार्यक्रम के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक प्रणाली पर्याप्त हैं। कार्यक्रम की कार्य योजना में यह सुनिश्चित होगा की पहचाने गए अंतराल को संबोधित किया जाए और कार्यान्वयन के दौरान प्रदर्शन की प्रभावशीलता को बढ़ाया जाए।